"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 87] रायपुर, सोमवार, दिनांक 13 मार्च 2023 — फाल्गुन 22, शक 1944

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, सोमवार, दिनांक 13 मार्च, 2023 (फाल्गुन 22, 1944)

क्रमांक–3196/वि.स./विधान/2023.— छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 2 सन् 2023) जो सोमवार, दिनांक 13 मार्च, 2023 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

हस्ता./–

(दिनेश शर्मा)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 2 सन् 2023)

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2023

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) को और संशोधित करने हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित होः–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहलायेगा।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

धारा 292–ख का संशोधन.

2. (1) छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 292–ख की उप–धारा (1) के खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(क) नगरपालिक निगम क्षेत्र की प्रत्येक आवासीय कालोनी में, कालोनी निर्माता (कालोनाईजर) द्वारा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए तथा निम्न आय वर्ग के लिए, पृथक रुप से, विकसित भू–खण्ड और/या निर्मित आवास/प्रकोष्ठ, ऐसी संख्या में तथा ऐसे आकार में, जैसा कि राज्य शासन द्वारा विहित किया जाये, आरक्षित रखना होगाः

परंतु यह कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए आरक्षित किये जाने वाले विकसित भू–खण्डों और/या निर्मित आवासों/प्रकोष्ठों की कुल संख्या,

कालोनी में विकसित भू–खण्डों और/या निर्मित आवासों/प्रकोष्ठों की कुल संख्या का 9% से कम नहीं होगा तथा निम्न आय वर्ग के लिए यह 6% से कम नहीं होगाः

परंतु यह और कि राज्य शासन, नियमों द्वारा यह प्रावधानित कर सकेगा कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हेतु कालोनी निर्माता (कालोनाईज़र), विकसित भू–खण्ड और/या निर्मित आवास/प्रकोष्ठ, कालोनी से भिन्न अन्यत्र किसी ऐसे स्थान पर उपलब्ध करा सकेगा, जो स्थान, इस संबंध में विहित शर्तों के अनुसार मान्य हो।''

(2) उप–धारा (1) के खण्ड (ग) में, शब्द एवं अंक ''धारा 128–ग'' के स्थान पर, शब्द एवं अंक ''धारा 128–क'' प्रतिस्थापित किया जाये ।

(3) उप–धारा (2) का लोप किया जाये।

उदेश्यों और कारणों का कथन

प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए आवास–निर्माण महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह क्षेत्र सबके लिए आवास की मूल आवश्यकता की पूर्ति तो करता ही है साथ में बडे पैमाने पर रोज़गार का सृजन भी करता है। छत्तीसगढ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क. 23 सन् 1956) में यह सुनिश्चित करने हेतु प्रावधान हैं कि निजी क्षेत्र के भवन निर्माता आवासीय कालोनी का विकास करते समय, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) तथा निम्न आय वर्ग (एलआईजी) की आवासीय आवश्यकताओं की अनिवार्य रुप से पूर्ति भी करें।

विगत कुछ वर्षों में, विभिन्न आवास योजनाओं के अंतर्गत प्रदेश में शहरी गरीबों के लिए अनेक आवासीय इकाइयों का निर्माण किया गया है। इन लक्ष्य समूहों की मांग और क्रय शक्ति में भी बदलाव आया है। अतएव, इन वर्गों की नई अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए और लचीले कानून द्वारा भवन निर्माता को आकर्षित करने लिए तथा आवास निर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए यह आवश्यक हो गया है कि ईडब्ल्यूएस तथा एलआईजी आवासों से संबंधित प्रावधानों को पुनरीक्षित किया जाये । इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 292–ख में उपयुक्त संशोधन करना प्रस्तावित है। उल्लेखनीय है कि पहले से ही कुछ अन्य प्रदेशों में ऐसे संशोधन हो चुके हैं।

वर्तमान विधेयक से उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति अपेक्षित है।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया
नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

रायपुर,
दिनांक 27 फरवरी, 2023

उपाबंध

छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2023 की धारा 292–ख में, उपधारा (1) में, खण्ड (क) एवं (ग) तथा उपधारा (2) का सुसंगत उद्धरण–

धारा 292–ख(1) कालोनियों का विकास–

(क) नगरपालिक क्षेत्र की प्रत्येक आवासीय कालोनी में, कालोनी निर्माता (कालोनाईजर) द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, कुल क्षेत्र में से पंद्रह प्रतिशत भूमि, आयुक्त को अन्तरित किया जायेगा, अथवा निर्मित आवास गृह, पात्र हितग्रहियों को ऐसी शर्तों पर तथा ऐसी रीति में अंतरित किया जायेगा, जैसा कि विहित किया जाए:

परंतु यह कि ऐसे आवास गृहों का आकार, अवस्थिति एवं संख्या एवं अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।

(ख) ऐसी भूमि के संबंध में, जिस पर नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमय) अधिनिमय, 1976 (1976 का 33) लागू था, कालोनी निर्माता (कालोनाईजर) द्वारा भूमि को आयुक्त को अंतरित किया जाएगा अथवा निर्मित आवास गृह, पात्र हितग्राहियों को ऐसी रिति में ऐसी शर्तो पर अंतरित किया जाएगा, जैसे कि विहित किया जाए।

(ग) जहां कालोनी ऐसी छोटे भूमि क्षेत्र पर प्रस्तावित है, जो एक एकड़ से कम है, तो ऐसे कालोनी निर्माता (कालोनाईजर) को धारा 128–ग के अनुसार कठित नगरपालिक निगम के ''गरीबों की सेवा निधि' में ऐसे दर से शुल्क जमा करने का विकल्प होगा जैसा कि विहित किया जाए।

(2) उपधारा (1) के अधीन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये भू–भाग हस्तांतरित करने के अतिरिक्त, कालोनी निर्माता (कालोनइजर), अपनी आवासीय कालोनी में निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को ऐसी शर्तों पर जैसा कि विहित किया जाये, विक्रय के लिये कम से कम दस प्रतिशत विहित आकार के पूर्ण विकसित भू–खण्ड भी आरक्षित रखेगा या संनिर्मित आवासीय मकान/प्रकोष्ट भवन देने का वैकल्पिक प्रस्ताव करेगा।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2023.